IX भुगतान और निपटान प्रणालियाँ तथा सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने देश की भुगतान व्यवस्था में और अधिक प्रतिस्पर्धा और ग्राहक विश्वास के साथ, ई-भुगतान के संरक्षित, सुरक्षित, तेज और किफ़ायती विकल्प सुनिश्चित करना जारी रखा। एनईएफ़टी की चौबीस घंटे सतत सुविधा लागू करना इस यात्रा में मील का एक महत्वपूर्ण पत्थर था। भविष्य में, रिज़र्व बैंक का प्रयास रहेगा कि समाज के अब तक छूटे हुए तबकों तक ई-भुगतान के विभिन्न विकल्प पहुँचाए जाएँ; ये विकल्प सक्षम विनियामक वातावरण और सुदृढ़ ग्राहक संरक्षण से लैस हों। अब बैंकों की नई पीढ़ी की वित्तीय संदेश पद्धति और बेतार प्रौद्योगिकी केन्द्र में रहेगी।

IX.1 रिज़र्व बैंक के प्रयास सक्षम एवं सुरक्षित भुगतान और निपटान प्रणालियाँ विकसित करने की दिशा में तेज हो गए हैं जिसमें वहनीय लागत पर प्रयोक्ता-सुगम प्लेटफॉर्मों की उपलब्धता के जरिये अधिकाधिक पहुँच बढ़ाने पर फोकस किया गया है। भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग द्वारा तैयार किया गया भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-21 इस दिशा में भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में भुगतान और निपटान प्रणालियों का सुचारु परिचालन सुनिश्चित करने के लिए एक गतिशील, सुदृढ़ तथा सुरक्षित प्लेटफ़ार्म बनाने का अपना प्रयास जारी रखा है। इसी पृष्ठभूमि में, आगामी खंडों में इस वर्ष के दौरान भुगतान और निपटान प्रणाली के क्षेत्र में हुई प्रगति और 2019-20 की कार्ययोजना की कार्यान्वयन स्थिति का भी जायजा लिया गया है। खंड 3 में 2019-20 के लिए बनाई गई कार्ययोजना के मद्देनजर डीआईटी द्वारा वर्ष के दौरान किए गए उपायों का ब्योरा दिया गया है। इन विभागों ने 2020-21 के लिए भी कार्ययोजना बनाई है। अध्याय का सारांश अंत में दिया गया है।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)

IX.2 रिज़र्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-21 में प्रत्येक भारतीय को संरक्षित, सुरक्षित, सुविधाजनक, तेज और किफ़ायती ई-भुगतान के विविध विकल्पों से लैस करने का लक्ष्य है। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान व्यवस्था में किए गए विभिन्न उपाय स्वस्थ **प्रतिस्पर्धा**, कम **लागत** पर ग्राहक **सुविधा** और भुगतान प्रणाली में ग्राहकों का **भरोसा** बढ़ाने की ओर उन्मुख रहे। बड़ा लक्ष्य यह है कि पूरे देश में डिजिटल भुगतान को अधिकाधिक रूप से बढ़ाना सुनिश्चित किया जाए- इसकी स्वीकार्यता और पहुँच दोनों की दृष्टि से, भुगतान प्रणालियों की संरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ग्राहक-केंद्रित उपायों से भी इसका समर्थन किया जाए।

भुगतान प्रणालियाँ

IX.3 भुगतान और निपटान प्रणालियों ने 2019-20 के दौरान सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की और मात्रा की दृष्टि से पिछले वर्ष के 55.8 प्रतिशत की वृद्धि के बाद पुन: 44.1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। मूल्य की दृष्टि से, पिछले वर्ष के 14.2 प्रतिशत के बाद पुन: इसमें 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऐसा मुख्य रूप से बड़े मूल्यों वाली प्रणाली नामतः तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) में देखी गई निम्नतर वृद्धि के कारण हुआ। गैर-नकदी खुदरा भुगतान की कुल मात्रा में डिजिटल लेनदेन का हिस्सा बढ़कर 2019-20 के दौरान 97.0 प्रतिशत हो गया जो पिछले वर्ष के 95.4 प्रतिशत से अधिक था (सारणी IX.1)। तथापि, कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि से आर्थिक गतिविधियाँ धीमी हुईं और विवेकाधीन भुगतान कम हुए। नतीजतन डिजिटल लेनदेनों में गिरावट आई (बॉक्स IX.1)।

सारणी IX.1: भुगतान प्रणाली के संकेतक- वार्षिक कारोबार (अप्रैल-मार्च)

मद	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ करोड़ में)		
	2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6	7
ए. निपटान प्रणाली						
सीसीआईएल परिचालित प्रणाली	35	36	36	10,74,80,202	11,65,51,038	13,41,50,192
बी. भुगतान प्रणाली						
1. बड़ी राशि वाली क्रेडिट अंतरण- आरटीजीएस	**1,244**	**1,366**	**1,507**	**11,67,12,478**	**13,56,88,187**	**13,11,56,475**
खुदरा खंड						
2. क्रेडिट अंतरण	**58,793**	**1,18,750**	**2,06,661**	**1,88,14,287**	**2,60,97,655**	**2,85,72,100**
2.1 एईपीएस (फंड अंतरण)	6	11	10	300	501	469
2.2 एपीबीएस	12,980	15,032	16,805	55,949	86,734	99,448
2.3 ईसीएस क्रेडिट	61	54	18	11,864	13,235	5,145
2.4 आईएमपीएस	10,098	17,529	25,792	8,92,498	15,90,257	23,37,541
2.5 एनएसीएच क्रेडिट	7,031	9,021	11,406	5,20,992	7,36,349	10,52,187
2.6 एनईएफ़टी	19,464	23,189	27,445	1,72,22,852	2,27,93,608	2,29,45,580
2.7 यूपीआई	9,152	53,915	1,25,186	1,09,832	8,76,971	21,31,730
3. डेबिट अंतरण और प्रत्यक्ष डेबिट	**3,788**	**6,382**	**8,957**	**3,99,300**	**6,56,232**	**8,26,036**
3.1 भीम आधार भुगतान	20	68	91	78	815	1,303
3.2 ईसीएस डेबिट	15	9	1	972	1,260	39
3.3 एनएसीएच डेबिट	3,738	6,299	8,768	3,98,211	6,54,138	8,24,491
3.4 एनईटीसी (बैंक खाता से लिंक किया हुआ)	15	6	97	39	20	203
4. कार्ड भुगतान	**47,486**	**61,769**	**73,012**	**9,19,035**	**11,96,888**	**15,35,765**
4.1 क्रेडिट कार्ड	14,052	17,626	21,773	4,58,965	6,03,413	7,30,895
4.2 डेबिट कार्ड	33,434	44,143	51,239	4,60,070	5,93,475	8,04,870
5. पूर्वदत्त भुगतान लिखत	**34,591**	**46,072**	**53,318**	**1,41,634**	**2,13,323**	**2,15,558**
6. पेपर- आधारित लिखत	**11,713**	**11,238**	**10,414**	**81,93,493**	**82,46,065**	**78,24,821**
कुल- खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	1,56,371	2,44,211	3,52,362	2,84,67,748	3,64,10,163	3,89,74,281
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	1,57,615	2,45,577	3,53,869	14,51,80,226	17,20,98,350	17,01,30,756
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	**1,45,902**	**2,34,339**	**3,43,455**	**13,69,86,734**	**16,38,52,285**	**16,23,05,934**

टिप्पणी: 1. आरटीजीएस में सिर्फ ग्राहक और अंतर-बैंक लेन-देन शामिल हैं।

2. सीबीएलओ, सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन और विदेशी मुद्रा लेन-देन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड(सीसीआईएल) के माध्यम से होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में एकमुश्त व्यापार सहित और रिपो लेन-देन के दोनों चरण तथा त्रिपक्षी लेनदेन शामिल हैं। सीसीआईएल ने सीबीएलओ का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से बंद कर दिया और प्रतिभूति खंड के तहत त्रिपक्षीय रेपो का संचालन किया।

3. कार्डों से संबन्धित आंकड़ों में ऑनलाइन और बिक्री केंद्र (पीओएस) मशीनों से हुए लेन-देन को दर्शाया गया है।

4. कॉलमों में दिए गए आंकड़ों का जोड़ पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: आरबीआई

डिजिटल भुगतान

IX.4 भुगतान के इलेक्ट्रोनिक तरीकों में, आरटीजीएस प्रणाली के अंतर्गत लेनदेन में 10.3 प्रतिशत का विस्तार हुआ, जिसका मूल्य ₹1,311.6 लाख करोड़ था। तथापि, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 3.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण आर्थिक गतिविधियों में गिरावट से कॉर्पोरेट के बड़े मूल्यों वाले लेनदेनों में कमी आना। मार्च, 2020 के अंत तक, 218 बैंकों की 1,53,605 शाखाओं के माध्यम से आरटीजीएस सुविधा उपलब्ध थी। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफ़टी) प्रणाली से लेनदेन में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च, 2020 के अंत तक, 217 बैंकों की 1,53,687 शाखाओं के माध्यम से एनईएफ़टी सुविधा उपलब्ध थी।

बॉक्स IX.1
कोविड-19 संकट : भुगतान प्रणाली पर असर

कोविड-19 महामारी के कारण भारत में डिजिटल लेनदेन में कमी आई है। इसकी पुष्टि में, भारत में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में तेजी आई और यह 28 फरवरी के 11.2 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च को 14.5 प्रतिशत और 19 जून, 2020 को 21.3 प्रतिशत हो गई (एक वर्ष पूर्व यह 12.8 प्रतिशत थी)। इसी तरह, एक वर्ष पहले की 20.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि की तुलना में जनवरी-मई 2020 के दौरान डिजिटल लेनदेन के संचयी मूल्य में 25.5 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की गिरावट आई। इसमें से, डिजिटल खुदरा लेनदेन मूल्य वृद्धि में 10.6 प्रतिशत का संकुचन आया जबकि पिछले वर्ष इसमें 31.3 प्रतिशत की तेजी आई थी। तथापि, ये दोनों ही संकेतक मई, 2020 में बेहतर हो गए। डिजिटल भुगतान में, खुदरा आरटीजीएस मात्रा में मार्च (-12.3 प्रतिशत), अप्रैल (-52.5 प्रतिशत) और मई (-27.5 प्रतिशत) की गिरावट आई, जबकि रिज़र्व बैंक द्वारा आरटीजीएस प्रभार हटा दिये जाने से इसमें जुलाई, 2019 से अच्छी वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) दर्ज की गई थी। जहां इसमें मई से तेजी आनी शुरू हुई, वहीं तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) से लेनदेन में फरवरी, 2020 से गिरावट आने लगी और यह गिरावट अप्रैल में और तीव्र हो गई। एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन की मात्रा में मार्च, 2020 में 5.9 प्रतिशत की गिरावट आई और अप्रैल, 2020 में 19.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ यह एक बिलियन लेनदेन से थोड़ा कम रही। तथापि, लॉकडाउन के धीरे-धीरे खुलने के साथ इसमें सुधार आया और जून में रिकॉर्ड 1.34 बिलियन लेनदेन हुआ। ई-कॉमर्स पोर्टल पर पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) के माध्यम से रुपे कार्ड लेनदेन के अनुपात में अप्रैल, 2020 में 237 प्रतिशत का उछाल आया, जो फरवरी, 2020 में 76.8 प्रतिशत था। यह सामाजिक दूरी के असर को दर्शाता है। लॉकडाउन के दौरान कम मांग के अलावा,डिजिटल भुगतान के ई-कॉमर्स एवं बिग-टेक जैसे अग्रणी उपयोगकर्ताओं द्वारा परिचालन स्थगित कर दिये जाने से कम मूल्य के डिजिटल भुगतानों की गिरावट में योगदान हुआ।

लॉकडाउन अवधि के दौरान डिजिटल लेनदेन में कमी वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था के एकीकरण का संकेतक है। 2009-19 की अवधि का प्रायोगिक विश्लेषण सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण एकदिशात्मक ग्रांगर कारक संबंध का समर्थन करता है जो सांकेतिक जीडीपी और निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफ़सीई) की वृद्धि से डिजिटल और खुदरा लेनदेन मूल्य में वृद्धि की ओर उन्मुख है (सारणी 1)।

सारणी- 1: आर्थिक गतिविधि और डिजिटल लेन-देन के बीच अंतर संबद्धता (नमूना: 2009 ति. 2 से 2019 ति. 4)

शून्य परिकल्पना (एचओ)	वित्तीय सांख्यिकी (संभावना)	स्वीकार / रद्द एचओ
1	2	3
डिजिटल (खुदरा) लेन-देन (जीवीएएलटीडीआरपी) के कुल मूल्य की वृद्धि नाममात्र निजी उपभोग खर्च (जीपीसीएन) की वृद्धि का ग्रेंजर कॉज़ नहीं है	0.83 (0.52)	स्वीकार
नाममात्र के निजी उपभोग व्यय (जीपीसीएन) की वृद्धि डिजिटल (खुदरा) लेन-देन (जीवीएएलटीडीआरपी) के कुल मूल्य में वृद्धि का ग्रेंजर कॉज़ नहीं है	6.48 (0.00)	रद्द
डिजिटल लेनदेन के कुल मूल्य में वृद्धि (जीवीएएलटीडीपी) नाममात्र जीडीपी (जीवाईएन) की वृद्धि का ग्रेंजर कॉज़ नहीं है	0.51 (0.73)	स्वीकार
नाममात्र जीडीपी की वृद्धि (जीवाईएन) डिजिटल लेनदेन के कुल मूल्य की वृद्धि (जीवीएएलटीडीपी) का ग्रेंजर कॉज़ नहीं है	3.42 (0.02)	रद्द

स्रोत: आरबीआई स्टाफ आकलन

यह विश्लेषण, ऑटो-रेग्रेशिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल (एडीआरएल) फ्रेमवर्क में, डिजिटल खुदरा लेनदेन और पीएफ़सीई के बीच दीर्घगामी संबंध को भी दर्शाता है। साथ ही, जब डिजिटल भुगतान हेतु अबाध वृद्धि के लिए सक्षमकारी स्थितियां होंगी जैसे - उपभोक्ताओं, स्थानीय कारोबारियों, वितरकों, उत्पादकों और अन्य हितधारकों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी का निर्बाध प्रसार- तब आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से डिजिटल लेनदेन में तेजी आने की उम्मीद है।

स्रोत: आरबीआई

IX.5 2019-20 के दौरान, क्रेडिट कार्डों और डेबिट कार्डों के जरिये कार्ड भुगतान लेनदेन में क्रमशः 23.5 प्रतिशत और 16.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इनका मूल्य क्रमशः 21.1 प्रतिशत बढ़कर ₹7.3 लाख करोड़ और 35.6 प्रतिशत बढ़कर ₹8.0 लाख करोड़ हो गए। प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) ने पिछले वर्ष के 33.2 प्रतिशत की वृद्धि के बाद पुन: इस वर्ष 15.7 प्रतिशत मात्रात्मक वृद्धि दर्ज की, जिनके लेनदेन का मूल्य ₹2.2 लाख करोड़ रहा जो 1.0 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था। डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी काफी अधिक वृद्धि हुई; मार्च, 2020 के अंत तक, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों की संख्या 38.2 प्रतिशत बढ़कर 51.4 लाख हो गई और सेवा में मौजूद भारत क्यूआर कोडों की संख्या 74.6 प्रतिशत बढ़कर 20.28 लाख हो गई। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान, एटीएम की संख्या 2.22 से बढ़कर 2.34 लाख हो गई।

भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत करना

IX.6 भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) तथा राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अलावा, पीपीआई जारीकर्ता, सीमा-पार से मुद्रा अंतरण सेवा प्रदाता, व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) परिचालक, ट्रेड्स रिसीवेब्ल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लैटफ़ार्म परिचालक, एटीएम नेटवर्क, तत्काल मुद्रा अंतरण सेवा प्रदाता, कार्ड भुगतान नेटवर्क और भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयाँ (बीबीपीओयू) शामिल हैं [सारणी IX.2]।

2019-20 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

20219-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

IX.7 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में, विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

सारणी IX.2: भुगतान प्रणाली परिचालकों को प्राधिकार (जून के अंत में)

(संख्या)

संस्थाएं	2019	2020
1	2	3
ए. गैर- बैंक प्राधिकृत		
पीपीआई जारीकर्ता	47	43
डबल्यूएलए परिचालक	8	8
त्वरित धन अंतरण सेवा प्रदाता	1	1
बीबीपीओयू	9	9
टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म परिचालक	3	3
सीमा पार धन अंतरण सेवा योजना परिचालक	9	9
कार्ड नेटवर्क	5	5
एटीएम नेटवर्क	2	2
बी. बैंक अनुमोदित		
पीपीआई जारीकर्ता	61	56
बीबीपीओयू	39	37
मोबाइल बैंकिंग प्रदाता	490	547
एटीएम नेटवर्क	3	3

टिप्पणी: दो गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के प्राधिकार प्रमाण पत्र (सीओए) की वैधता अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया, जबकि दो गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं ने स्वेच्छा से अपने सीओए को अध्यर्पित कर दिया।

स्रोत: आरबीआई

- भुगतान प्रणालियों में नेतृत्व और क्षेत्रीय सहयोग में सुगमकारी भूमिका (पैरा IX.9);
- संकेंद्रण जोखिम के समाधान हेतु नई खुदरा भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत करने के लिए नीति दस्तावेज़ तैयार करना (पैरा IX.10);
- बीबीपीओयू, टीआरईडीएस और डबल्यूएलए के लिए प्लेटफ़ार्म के रूप में काम करने/प्लेटफ़ार्म प्रदान/ परिचालित करने की इच्छुक संस्थाओं को प्राधिकृत करने की 'ऑन टैप' सुविधा प्रदान करना (पैरा IX.11);
- भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ़) का सृजन (पैरा IX.14);
- ग्राहक शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति के लिए टर्न-अराउंड टाइम (टीएटी) को बेहतर बनाने हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करना (पैरा IX.19);
- संस्थाओं की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा के दायरे को विस्तृत करना (IX.28);
- वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं (एफ़एमआई) और खुदरा भुगतान प्रणालियों की निगरानी पर एक विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार करना (पैरा IX.29); और
- केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री का सृजन (पैरा IX.30)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

IX.8 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ : विजन 2019-21 (विजन)' में, डीपीएसएस ने विजन हासिल करने के लिए चार घटक नामतः प्रतिस्पर्धा, लागत, सुविधा और भरोसा चिन्हित किए थे।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन

भुगतान प्रणालियों की वैश्विक पहुँच

IX.9 2016 में अपने प्रारंभ से चार वर्षों से भी कम समय में, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने लेनदेन की मात्रा की दृष्टि

से अन्य सभी भुगतान माध्यमों को पीछे छोड़ दिया है। यूपीआई में खास विशेषताएँ हैं: खुला और अतंरपरिचालनीय प्लेटफ़ार्म; टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन; भुगतान सेवा प्रदाताओं को मौजूदा ढांचे को और अधिक बढ़ाने की सुविधा; एक ही एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को जोड़ने की सुविधा; ई-मैंडेट; और बैंक खातों तथा वालेट के साथ सुगम्यता, यह सब इसे सीमा-पार आकर्षण भी प्रदान करता है। इसी प्रकार, घरेलू कार्ड नेटवर्क- रुपे की वृद्धि भी इसके वैश्विक विस्तार का अवसर देती है। विजन में अपनी भुगतान प्रणालियों और विप्रेषण सेवाओं की वैश्विक पहुँच बढ़ाने का लक्ष्य समाविष्ट है। यह सब अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय फोरमों में सक्रिय सहभागिता और सहयोग के जरिये तथा मानक व्यवस्था के साथ सहयोग और समन्वय से हासिल किया जाएगा। रिज़र्व बैंक, सरकार और एनपीसीआई के साथ सघन समन्वय करके, यूपीआई और रुपे की पहुँच को भूटान, सिंगापुर और संभवतः दक्षिण कोरिया एवं यूएई के अलावा, पूरे विश्व में विस्तारित करने की दिशा में काम कर रहा है।

खुदरा भुगतान प्रणालियों में संकेंद्रण जोखिम

IX.10 अखिल भारतीय भुगतान प्लेटफॉर्मों को प्रोत्साहित करने तथा इसमें और अधिक भागीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए, नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के ऑथराइजेशन पर एक नीति दस्तावेज़ जारी किया गया था ताकि इस क्षेत्र में नवोन्मेष को गति दी जा सके और खुदरा भुगतान प्रणालियों में संकेंद्रण के जोखिम को भी कम किया जा सके। तत्पश्चात, एक 'अखिल भारतीय खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए न्यू अम्बरेला एंटिटी (एनयूई) के प्राधिकरण हेतु मसौदा फ्रेमवर्क' रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 10 फरवरी, 2020 को रखा गया और आम लोगों की राय आमंत्रित की गई। प्राप्त हुए फीडबैक की समीक्षा की जा रही है।

तत्काल प्राधिकृत करना (ऑन-टैप ऑथराइजेशन)

IX.11 बीबीपीओयू, टीआरईडीएस और डबल्यूएलए के लिए प्लेटफ़ार्म पर काम करने/प्लेटफ़ार्म परिचालित /प्रदान करने की इच्छुक संस्थाओं के 'ऑन-टैप' ऑथराइजेशन को 15 अक्टूबर, 2019 को सक्षम बना दिया गया था ताकि नए प्राधिकृत भागीदारों द्वारा बढ़ी हुई सहभागिता से नवोन्मेष एवं प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा सके।

भुगतान और निपटान प्रणालियों पर नवोन्मेष प्रतियोगिता

IX.12 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) के साथ मिलकर भुगतान और निपटान प्रणालियों में नवोन्मेष पर एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता का उद्देश्य था कि भुगतान और निपटान प्रणाली क्षेत्र में नवोन्मेष और नए विचारों को प्रोत्साहित, चिन्हित और आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया जाए तथा भुगतान क्षेत्र में उद्यमियों, स्टार्ट-अप और इसी प्रकार की संस्थाओं द्वारा नई-नई गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। इस प्रतियोगिता के मुख्य विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा-पार विप्रेषण, अगली पीढ़ी के भुगतान और स्वचलित भुगतान प्रक्रिया को शामिल किया गया। चुने गए आवेदकों को एक प्रख्यात निर्णायक-मण्डल के समक्ष अपने नवोन्मेषों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेषकों को पुरस्कार प्रदान किए गए और सभी चुने गए आवेदकों को प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

विभिन्न भुगतान प्रणालियों में सहभागिता के लिए डाक विभाग (डीओपी) को अनुमोदन

IX.13 जुलाई 2016 में, डाक विभाग को इसके द्वारा स्थापित एटीएमों को राष्ट्रीय वित्तीय स्विच से जुड़े एटीएमों के बीच दो-तरफा अंतरपरिचालनीयता सक्षम करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। इसे और आगे बढ़ाते हुए, डाक विभाग को एनईएफ़टी, आरटीजीएस, तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), पीओएस/ई-कॉमर्स (ई-कॉम) पर डेबिट कार्ड, यूपीआई और आधार-समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) जैसी भुगतान प्रणालियों में सहभागिता की अनुमति इन शर्तों के साथ दी गई कि वे बैंकों पर लागू रिज़र्व बैंक के सभी संबन्धित विनियामक अनुदेशों का अनुपालन करेंगे और तत्पश्चात इन गतिविधियों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) को हस्तांतरित करेंगे।

वहनीय लागत सुनिश्चित करना

भुगतान अवसंरचना विकास निधि बनाना

IX.14 जैसा कि 4 अक्टूबर, 2019 के रिज़र्व बैंक के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के वक्तव्य में घोषित किया गया है और विजन में भी समाविष्ट किया गया है, देश में भुगतान स्वीकृति अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल पीओएस दोनों) को बढ़ाने के लिए एक्सेप्टेन्स डेवलपमेंट फ़ंड (एडीएफ़) [भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ़) के रूप में पुनः नामकरण] का सृजन किया गया। इस निधि का उपयोग टियर III से टियर VI के केन्द्रों और देश के पूर्वोत्तर हिस्सों पर फोकस के साथ पीओएस स्वीकृति अवसंरचना बनाने और आपूर्ति पक्ष संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए अधिग्राहकों को सबसिडी देने में किया जाएगा, ताकि इकोसिस्टम को निर्गम (इसुएन्स) से स्वीकृति (एकसेपटेन्स) की तरफ बढ़ाया जा सके, जो डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

IX.15 इस निधि में रिज़र्व बैंक, कार्ड जारीकर्ता बैंकों और देश में परिचालन कर रहे कार्ड नेटवर्कों द्वारा अंशदान किया जाएगा और इस निधि का प्रशासन रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाएगा।

एटीएम प्रभारों और शुल्कों के लिए संशोधित फ्रेमवर्क

IX.16 6 जून, 2019 के रिज़र्व बैंक के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के फलस्वरूप और देश में एटीएम संस्थापन की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एटीएम प्रभारों और शुल्कों की समग्र रूप से समीक्षा करने के लिए जुलाई, 2019 में एक समिति गठित की गई। इस समिति में अध्यक्ष के रूप में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक के अलावा, एनपीसीआई, एसबीआई, एचडीएफ़सी बैंक, एटीएम उद्योग परिसंघ और टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए। इस समिति की सिफ़ारिशों की रिज़र्व बैंक द्वारा समीक्षा की जा रही है।

डिजिटल भुगतान के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन

IX.17 रिज़र्व बैंक ने 01 जुलाई, 2019 से सदस्य बैंकों से केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के लिए वसूले जाने वाले प्रभारों (एनईएफ़टी में प्रोसेसिंग प्रभार तथा आरटीजीएस में प्रोसेसिंग और समयान्तर प्रभार) को हटा दिया है। सदस्य बैंकों से ऐसे ही लाभों को अपने ग्राहकों को भी देने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा, 01 जनवरी, 2020 से सदस्य बैंकों के लिए बाध्यकारी कर दिया गया कि वे बचत खाताधारकों द्वारा ऑनलाइन एनईएफ़टी के माध्यम से निधि अंतरण (यथा-इंटरनेट बैंकिंग और/अथवा बैंकों के मोबाइल ऐप के जरिये) पर कोई प्रभार नहीं वसूलें।

भुगतान समूहकों (पीए)/पेमेंट गेटवे (पीजी) को प्राधिकृत/विनियमित करना

IX.18 एक सामान्य ऑनलाइन भुगतान लेनदेन में बैंक और गैर-बैंक जैसे कई मध्यस्थ शामिल होते हैं, जो व्यापारी समूहकों के रूप में कार्य करते हैं। पीए और पीजी वे इकाइयाँ हैं जो ई-कॉमर्स साइटों और व्यापारियों को ग्राहकों के भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए उनके विभिन्न भुगतान लिखतों को स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करती हैं। इसके लिए व्यापारियों को अपनी पृथक भुगतान एकीकरण प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में, जहां पीए फ़ंड संभालते हैं, वहीं पीजी बिना फ़ंड संभाले तकनीकी अवसंरचना प्रदान करते हैं। जबकि बैंक और अन्य पीएसओ रिज़र्व बैंक द्वारा सीधे विनियमित होते हैं, किन्तु पीए और पीजी नहीं। इन मध्यस्थों की अहम भूमिका को देखते हुए, पीए को विनियमित करने और पीजी को आधारभूत तकनीकी से संबन्धित सिफ़ारिशें उपलब्ध कराने के लिए 17 मार्च, 2020 को ऑनलाइन भुगतान समूहकों और पेमेंट गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश जारी किए गए।

ग्राहक सुविधा बेहतर करना

ग्राहक शिकायत समाधान और क्षतिपूर्ति हेतु टर्न-अराउंड टाइम (टीएटी) को सुसंगत बनाने के लिए फ्रेमवर्क

IX.19 एटीएम, यूपीआई, आईएमपीएस, पीपीआई और कार्ड भुगतान में विफल लेनदेनों हेतु टीएटी और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाने के लिए, 15 अक्टूबर, 2019 से एक फ्रेमवर्क लागू किया गया ताकि ऐसे विफल लेनदेनों को वापस करने में एकरूपता और अनुशासन लाया जा सके । इस फ्रेमवर्क में विफल लेनदेन के लिए टीएटी निर्धारित किया गया है और ऐसे लेनदेनों को वापस करने में हुई देरी के लिए ग्राहकों को स्वतः क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु एक क्षतिपूर्ति फ्रेमवर्क भी बनाया गया है।

एनईएफ़टी की 24x7x365 उपलब्धता

IX.20 एनईएफ़टी, जो आधे घंटे वाले 23 बैचों में कार्य कर रही थी उसे 16 दिसंबर 2019 से 24 x7x365 आधार पर उपलब्ध कराया गया। यह प्रणाली अब आधे-घंटे वाले 48 बैचों में कार्य करती है जिसकी हर दिन पहली बैच 00:30 बजे शुरू होती है और अंतिम बैच 00.00 बजे समाप्त होती है। एनईएफ़टी 24x7 विश्व में एक विशिष्ट खुदरा भुगतान प्रणाली है, जो न सिर्फ चौबीस घंटे कार्य करती है, बल्कि किसी निपटान को 'स्थगित' भी नहीं करती है और अंतरण राशि की कोई न्यूनतम या अधितम सीमा भी निर्धारित नहीं करती है।

कार्ड/पीपीआई/यूपीआई पर ई-मैंडेट/स्थायी निर्देश

IX.21 मासिक अंशदान, बीमा प्रीमियम भुगतान, सिस्टेमिक निवेश योजना और बिल भुगतान जैसे आवर्ती भुगतानों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, अगस्त, 2019 में कार्ड और पीपीआई में ई-मैंडेट की सुविधा हेतु एक फ्रेमवर्क जारी किया गया । ऐसे उपाय में सुविधा के साथ ई-मैंडेट पंजीकरण, संशोधन और निरस्तीकरण तथा प्रथम लेनदेन करते समय भी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफ़ए) जैसी सुरक्षा विशेषताएं शामिल होती हैं । इस फ्रेमवर्क को बाद में यूपीआई-आधारित लेनदेनों पर भी लागू कर दिया गया।

आरटीजीएस के परिचालन समय में बढ़ोतरी

IX.22 रिज़र्व बैंक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बड़े मूल्यों वाली निधि अंतरण प्रणाली- आरटीजीएस का प्रबंधन और परिचालन करता है । भुगतान प्रणालियों की समय-आधारित उपलब्धता को बढ़ाने के प्रयासों के रूप में, आरटीजीएस में ग्राहक लेनदेनों की समयावधि को बढ़ा दिया गया । ग्राहक लेनदेन के लिए अब आरटीजीएस 0700 बजे से 1800 बजे तक उपलब्ध है, जो पहले 0800 बजे से 1630 बजे तक ही था।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के अंतर्गत बिलकर्ता श्रेणियों का विस्तार

IX.23 उपयोगिता बिलों के डिजिटल भुगतान पर ज़ोर देने के लिए, सितंबर, 2019 में बीबीपीएस के दायरे और परिव्याप्ति को उन सभी बिलकर्ताओं तक बढ़ा दिया गया जो ऐच्छिक आधार पर, पात्र सहभागियों के रूप में आवर्ती बिल (प्रीपेड रिचार्ज को छोड़कर) सृजित करते हैं । इसका उद्देश्य नकदी-आधारित बारंबारता वाले भुगतानों के और अधिक डिजिटलीकरण तथा एक मानक प्लेटफ़ार्म की उपलब्धता सुलभ बनाना है। नए खंडों में ग्राहकों को मिलने वाले फ़ायदों में शामिल हैं- अंतरपरिचालनीय तरीके से एक मानकीकृत बिल भुगतान अनुभव, ग्राहक संपर्क-बिन्दुओं की बड़ी संख्या, केंद्रीकृत ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली और पूर्व-परिभाषित ग्राहक सुविधा शुल्क।

सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) के एक नए प्रकार की शुरुआत

IX.24 दिसंबर, 2019 में एक नए प्रकार का पीपीआई शुरू किया गया, जिसे केवल किसी बैंक खाते और/या क्रेडिट कार्ड से लोड/रिलोड किया जा सकता है और ग्राहक द्वारा दिये गए आवश्यक न्यूनतम ब्योरों के आधार पर जारी किया जा सकता है । इसका उद्देश्य कम मूल्य वाले पीपीआई के निर्गम और इस्तेमाल को आसान बनाना है । ऐसे पीपीआई का उपयोग केवल वस्तु और सेवाओं की खरीद के लिए ही किया जा सकता है और इससे निधि अंतरण नहीं किया जा सकता है । ऐसे पीपीआई में एक महीने में लोड की गई राशि और किसी भी

समय-बिन्दु पर बकाया राशि की सीमाएँ तय की गई हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से गिफ्ट पीपीआई के क्रेता के लिए केवाईसी आवश्यकता को भी बैंक खाते के डेबिट के समान ही रखा गया है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण (एनईटीसी) प्रणाली के उपयोग को बढ़ाना

IX.25 दिसम्बर, 2019 में रिज़र्व बैंक ने सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों और लिखतों (गैर-बैंक पीपीआई, कार्ड और यूपीआई) को फास्टैग (वाहन की पहचान हेतु वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाया गया टैग) से लिंकिंग की अनुमति दी। इसका उद्देश्य ग्राहकों को भुगतान के विविध विकल्प देकर एनईटीसी प्रणाली के आधार को अधिक व्यापक बनाना था और प्रणाली के प्रतिभागियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना था। एनईटीसी प्रणाली को पार्किंग शुल्क और ईंधन भुगतान के लिए, अंतरपरिचालनीय तरीके से, इस्तेमाल किए जाने की अनुमति देकर और भी उन्नत किया गया है।

पीओएस टर्मिनल/यूपीआई के इस्तेमाल से नकद निकासी की सुविधा

IX.26 पीओएस टर्मिनल पर कम मूल्य की नकद निकासी की सुविधा को रिज़र्व बैंक से एकबारगी अनुमोदन लेने की आवश्यकता को समाप्त कर आसान बना दिया गया। व्यापारी के स्थान पर नकद निकासी की सुविधा को यूपीआई के लिए भी सुलभ कर दिया गया।

ग्राहक जागरूकता बढ़ाना

IX.27 डिजिटल भुगतान के प्रसार और स्वीकरण को डिजिटल साक्षरता के द्वारा बल देने की आवश्यकता है। इस दिशा में की गई विभिन्न पहलों में शामिल हैं- रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से समन्वयन के लिए विभाग से नोडल अधिकारियों का आबंटन; विभिन्न लक्ष्य समूहों यथा- विद्यार्थियों, बैंकों एवं व्यापारियों के शिक्षण हेतु सामग्री का मानकीकरण; मीडिया कार्यशालाओं में सहभागिता; रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों और आईडीआरबीटी में भुगतान प्रणाली संबंधी कार्यक्रमों का संचालन। 2019-20 (जुलाई-जून) के दौरान, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 192 ई-बात (इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण) कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के विभिन्न पहलुओं, इनके फायदे और बैंक स्टाफ, ग्राहकों, विद्यार्थियों तथा आम लोगों की साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने प्रिंट, दृश्य-श्रव्य माध्यमों तथा ऑनलाइन भी अपने फ़्लैगशिप कार्यक्रम 'आरबीआई कहता है' के जरिये डिजिटल जागरूकता सामग्री जारी की। साथ ही, डिजिटल सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों और सहभागियों को जून, 2020 में निर्देश दिए गए कि वे अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के सुरक्षित और संरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए एसएमएस और प्रिंट/दृश्य माध्यमों में विज्ञापन के जरिए लक्षित बहुभाषिक अभियान चलाएं।

ग्राहकों का भरोसा बढ़ाना

प्राधिकृत पीएसओ के सिस्टम ऑडिट के कवरेज और दायरे की समीक्षा

IX.28 प्राधिकृत पीएसओ द्वारा वार्षिक आधार पर प्रस्तुत की जाने वाली प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) के दायरे की समीक्षा की गई और इसे उन्नत बनाया गया ताकि ऑडिट के हिस्से के रूप में कवर की जाने वाली सभी सूचना प्रणाली प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों के सभी संबन्धित क्षेत्रों का मानकीकरण और उसका व्यापक कवरेज सुनिश्चित किया जा सके। एसएआर में अब, अन्य बातों के साथ-साथ, सूचना सुरक्षा शासन, पहुँच नियंत्रण, नेटवर्क तथा डेटा सुरक्षा, आईटी आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन, भौतिक तथा वातावरणीय सुरक्षा, मानव संसाधन सुरक्षा, कारोबार निरंतरता योजना एवं प्रबंधन, वेंडर प्रबंधन, घटना प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन और पैच प्रबंधन शामिल हैं। लेखापरीक्षकों के हितों के टकराव से बचने के लिए, यह बाध्यकारी कर दिया गया है कि संबन्धित लेखापरीक्षा फ़र्म या इसकी कोई भी अनुषंगी फ़र्म पिछले दो वित्तीय वर्षों में लेखापरीक्षित इकाई में अन्य सेवाएँ नहीं दे रही हो।

अधिकृत भुगतान प्रणालियों के लिए फ्रेमवर्क

IX.29 जून 2013 में "आरबीआई द्वारा विनियमित एफ़एमआई के विनियमन और पर्यवेक्षण" पर नीतिगत दस्तावेज़ जारी करके रिज़र्व बैंक ने अपने द्वारा विनियमित एफएमआई के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए "वित्तीय बाजार के बुनियादी संरचना सिद्धांत (पीएफ़एमआई)" और "भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए केंद्रीय बैंक की निगरानी" को अपनाया था। इस नीति में एफएमआई के रूप में नामित करने के लिए मानदंड, एफएमआई के लिए पीएफएमआई की प्रयोज्यता, एफएमआई की निगरानी और अन्य संबंधित पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। लंबी अवधि तक रिज़र्व बैंक ने भुगतानों के डिजिटलीकरण में अपने प्रयासों को जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप भुगतान अवसंरचना का निरंतर विस्तार न केवल भुगतान अवसंरचना में वृद्धि के संदर्भ में हुआ, बल्कि डिजिटल भुगतान लेनदेन की मात्रा और मूल्य के संदर्भ में भी हुआ। इस नीतिगत दस्तावेज़ को "ओवरसाइट फ्रेमवर्क फॉर एफएमआई एंड रिटेल पेमेंट सिस्टम" के रूप में संशोधित किया गया और 14 जून, 2020 को जारी किया गया था। फ्रेमवर्क भारत में कार्य कर रहे एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एफएमआई और खुदरा भुगतान प्रणाली के निरीक्षण में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में बताता है, और मोटे तौर पर निरीक्षण के लिए विधिक फ्रेमवर्क, परिभाषा और निरीक्षण की गुंजाइश, निरीक्षण गतिविधियों और अन्य विनियामक निकायों के साथ सहयोग को कवर करता है।

केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री का सृजन

IX.30 सिस्टम प्रतिभागियों द्वारा ऑनलाइन होने वाली भुगतान धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए भुगतान संबंधित सभी प्रकार की धोखाधड़ी की रजिस्ट्री हेतु एक वेब-आधारित रिपोर्टिंग प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया गया।

प्राधिकृत पीएसओ पर मौद्रिक जुर्माना लगाने हेतु फ्रेमवर्क

IX.31 रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 और 31 के तहत उल्लंघन / अपराधों के मौद्रिक दंड और कंपाउंडिंग के फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राधिकृत पीएसओ विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करें। संशोधित फ्रेमवर्क निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता पर केंद्रित है।

कार्ड लेनदेन में सुरक्षा को बढ़ाना

IX.32 पिछले कुछ वर्षों से कार्ड का उपयोग बढ़ रहा है। रिज़र्व बैंक कार्ड से लेनदेन में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए स्थापित प्रणालियों की लगातार मूल्यांकन करता रहा है और कार्ड धारकों और कार्ड लेन-देन शृंखला को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जनवरी 2020 में निम्नलिखित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को अनिवार्य किया गया था: (क) कार्ड जारी / पुनः जारी करते समय केवल संपर्क-आधारित स्थलों (एटीएम, पीओएस) पर उपयोग करने लायक कार्ड जारी किए जाएं; (ख) लेन-देन के अधिकारों को चालू / बंद करने और लेनदेन की सीमा तय / संशोधित करने के लिए सभी कार्डधारकों को 24x7 सुविधा प्रदान करना; और (ग) कार्ड धारक को कार्ड की स्थिति में कोई भी बदलाव होने पर अलर्ट भेजना। कोविड-19 महामारी के कारण असाधारण स्थिति को देखते हुए, जारीकर्ताओं को परिपत्र के प्रावधानों को लागू करने के लिए 30 सितंबर 2020 तक का समय दिया गया है।

पीपीआई जारीकर्ताओं के लिए आंतरिक लोकपाल

IX.33 पीएसएस अधिनियम की धारा 18 के तहत एक आंतरिक लोकपाल योजना बनाई गई, ताकि बड़े गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं को शामिल किया जा सके जिनका पीपीआई बकाया एक करोड़ से अधिक के साथ शुरू हो। शिकायत निवारण प्रणाली के तहत उच्च-स्तरीय प्राधिकारी द्वारा ग्राहकों की शिकायतों का निवारण पीएसओ के स्तर पर ही किया जाता है। आंतरिक लोकपाल को चाहिए कि वह पीएसओ से अपेक्षित दूरी बनाकर काम करें। इस योजना को पात्र पीएसओ द्वारा 20 जनवरी 2020 तक लागू करना था।

अन्य घटनाक्रम

पर्यवेक्षण

IX.34 पीएसएस अधिनियम की धारा 16 के तहत 2019-20 के दौरान, 27 संस्थाओं, अर्थात्, सीसीआईएल, एनपीसीआई, 22 पीपीआई जारीकर्ताओं और 3 डबल्यूएलए ऑपरेटरों का ऑनसाइट निरीक्षण किया गया।

सीसीआईएल का निरीक्षण

IX.35 सितंबर-अक्टूबर 2019 के दौरान सीसीआईएल का ऑन-साइट निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण का दायरा सीसीआईएल की गतिविधियां जैसे एक केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) और एक ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर) के रूप में सीमित था और इसके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन पेमेंट्स एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर-इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमिशन (सीपीएमआई-आईओएससीओ) की समिति के वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे (पीएफ़एमआई)- मूल्यांकन पद्धति टेम्पलेट के 24 सिद्धांतों के अनुसार किया गया था। विगत वर्षों के भांति, सीसीआईएल में 18 सिद्धान्तों का अनुपालन किया जा रहा था और 4 सिद्धांतों का अनुपालन मोटे तौर पर किया जा रहा था, जबकि 2 सिद्धांत इस पर लागू नहीं' थे।

एनपीसीआई का निरीक्षण

IX.36 नवंबर-दिसंबर 2019 के दौरान एनपीसीआई का ऑन-साइट निरीक्षण पीएफ़एमआई के आधार पर किया गया था। निरीक्षण के दायरे में एनपीसीआई द्वारा संचालित विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के कार्यात्मक मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन प्रेमवर्क की मजबूती, अभिशासन और निगरानी, व्यवसाय प्रभाव विश्लेषण और रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) के नियमों और शर्तों का अनुपालन शामिल था।

भुगतान प्रणाली के बारीक-से बारीक (ग्रैन्यूलर) आंकड़ों का प्रसार

IX.37 अधिकृत पीएसओ द्वारा संचालित विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए किए गए लेनदेन से संबन्धित डेटा को रिज़र्व बैंक प्रकाशित कर रहा है। डिजिटल लेनदेन करने के लिए भुगतान इकोसिस्टम और नई प्रणालियों में उन्नयन, उत्पादों और चैनलों में तीव्र विकास को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान लेनदेन की परिभाषा की समीक्षा की और आरबीआई द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन में भुगतान प्रणाली संकेतक के दायरे और कवरेज को बढ़ाया ताकि हालिया भुगतान प्रणाली और भुगतान लेनदेन के बारीक-से-बारीक विवरण को शामिल किया जा सके। विभिन्न भुगतान चैनलों का उपयोग करके किए गए भुगतान लेनदेन और भुगतान प्रणाली के बुनियादी ढांचे के विवरण भी प्रसारित किए गए थे। जनवरी 2020 से आरबीआई बुलेटिन में संशोधित फॉर्म और संरचना आंकड़े को प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें नवंबर 2019 से डेटा को कवर किया जा रहा है। इसके अलावा, बेहतर अनुसंधान की सुविधा देने और भुगतान प्रणालियों के नवाचारों में योगदान देने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जून, 2020 से दैनिक स्तर पर भुगतान प्रणालियों से संबन्धित आंकड़े का प्रसार शुरु किया गया है।

सीसीआईएल में गतिविधियां

IX.38 वर्ष के दौरान, सीसीआईएल ने प्रतिभूति खंड में समाशोधन सदस्य संरचना के कार्यान्वयन को अंतिम रूप दिया, और बैंकों के ग्राहकों के लिए यूएस डालर / रुपया मुद्रा पेयर में अज्ञात और आदेश-चालित लेनदेन करने के लिए एफ़एक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, तथा बाजार कार्य-समय के बाद भी विदेशी मुद्रा लेनदेन को बढ़ाया एवं पहले सेट के भंग होने पर प्रभाव-सीमा के दूसरे सेट के आधार पर उच्च समाहार (कन्सेंट्रेशन) मार्जिन को लागू करके अपने जोखिम प्रबंधन में सुधार किया। सीसीआईएल टीआर को सरकार द्वारा स्टांप शुल्क, से संबन्धित जो लेनदेन उसे रिपोर्ट हो रहा है, को एक कलेक्टिंग एजेंट के रूप में अधिसूचित किया गया।

रिजर्व बैंक द्वारा संचालित ईसीएस / क्षेत्रीय ईसीएस / राष्ट्रीय ईसीएस केंद्रों को बंद करना

IX.39 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) का उपयोग रिज़र्व बैंक के कुछ स्थानों पर किया जा रहा था, जिनमें से अधिकांश अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन

हाउस (एनएसीएच) में सफलतापूर्वक माइग्रेट हो रहे थे। एनएसीएच प्रणाली अखिल भारतीय स्तर पर ऑनलाइन अधिदेश प्रबंधन और केंद्रीकृत समाशोधन सेवा के साथ अनुदानों, लाभांश, ब्याज, वेतन और पेंशन के वितरण की दिशा में थोक भुगतान को निपटाने की सुविधा देती है, तथा साथ ही एकमुश्त प्राप्तियों की दिशा में उपयोग हेतु भुगतान, ऋण, म्यूचुअल फंड में निवेश और बीमा प्रीमियम के संग्रह की सुविधा देती है। ईसीएस केंद्रों में से आखिरी को 31 जनवरी, 2020 को एनएसीएच में स्थानांतरित कर दिया गया था। ईसीएस से एनएसीएच में शिफ्टिंग सुचारु और बाधारहित रही। इसके साथ ही 25 वर्षों तक राष्ट्र की शानदार सेवा करने के बाद, ईसीएस और इसके वेरिएंट्स (क्षेत्रीय-ईसीएस और राष्ट्रीय-ईसीएस) का अस्तित्व समाप्त हो गया।

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान व्यवसाय निरंतरता योजना

IX.40 कोविड- 19 से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर, मार्च 2020 में कई उपाय किए गए ताकि न केवल रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों (आरटीजीएस और एनईएफ़टी) की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके बल्कि एनपीसीआई, सीसीआईएल और अन्य पीओएस द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली में भी उपलब्ध रहें। बैंकों और गैर-बैंकों सहित सरकार, पीएसओ और विनियमित संस्थाओं (आरईएस) के साथ समन्वित प्रयासों से देश भर में संचालित सभी भुगतान और निपटान प्रणालियों के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित किया गया। अप्रैल 2020 में गरीबों और हाशिये पर रहने वाले लोगों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतानों को शुरू किया गया, जिसे सुचारु रूप से एनएसीएच - आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) द्वारा सुगम बनाया गया, जिसमें लाभार्थी के आधार संख्या के आधार पर बैंक खातों में एकमुश्त अंतरण किए गए। आरई को कुछ छूट दी गई ताकि वे भौतिक आवागमन पर प्रतिबंधों तथा समर्थन सेवाओं की कम उपलब्धता का सामना कर सकें और समर्थन। यह महामारी भुगतान फ्रेमवर्क की मजबूती और विनियामक ढांचे के मूल्यांकन के लिए एक लिटमस परीक्षण रही है, जिसमें कड़ी निगरानी के साथ विस्तारित अवधि के लिए सीमित संसाधनों के साथ काम करना शामिल है, साथ ही भुगतान प्रणाली उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं को भी इससे कई सबक मिले। यह गर्व की बात है कि भुगतान प्रणालियों ने बिना रुकावट के काम किया और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान चौबीसों घंटे उपयोग के लिए उपलब्ध रही।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्यसूची

IX.41 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विजन 2019-21' में निर्धारित किए गए लक्ष्यों के तहत प्रस्तावित कार्रवाई मदें नीचे दी गई हैं:

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना

- *ऑफलाइन भुगतान प्रणाली:* डिजिटल भुगतान तरीके को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल उपकरणों और कार्ड में दर्ज की गई रकम के माध्यम से ऑफ़लाइन भुगतान उपलब्ध कराए जाएंगे, और इस योजना के अवलोकन हेतु एक पायलट योजना चलाई जाएगी ताकि इसे पूर्ण रूप से रोल-आउट किया जा सके।

ग्राहक सुविधाओं में सुधार

- *ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर):* विभिन्न भुगतान प्रणालियों के मध्य एक ओडीआर प्रणाली का कार्यान्वयन करने हेतु एक चरणबद्ध पद्धति तैयार करना प्रस्तावित है, जिसका आरंभ सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों में विफल लेनदेन के संबंध में कार्यान्वयन से किया जा रहा है (उत्कर्ष);
- *स्व- विनियामक संगठन:* विनियामक / पर्यवेक्षक के साथ कार्य करने और पीएसओ हेतु नियमों के निर्धारण और प्रवर्तन हेतु ज़िम्मेदारी लेने के लिए स्व-विनियामक संस्थान (एसआरओ) के सृजन हेतु प्रेमवर्क की घोषणा को अंतिम रूप दिया जाएगा जैसा कि 6 फरवरी 2020 की विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों पर रिजर्व बैंक वक्तव्य में घोषित किया गया।

- डिजिटल भुगतान जागरूकता के लिए सर्वेक्षण: सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिजिटल फुटप्रिंट की पहुँच दूरस्थ क्षेत्रों और देश के सुदूर क्षेत्रों तक हो सके, इसके अलावा (क) पीआईडीएफ का संचालन; (ख) प्रत्येक राज्य से एक जिले को पूरी तरह से डिजिटली सक्षम बनाने में पहल करके योगदान देना; और (ग) व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं द्वारा समग्र डिजिटल पहुँच को समझना; तथा
- अखिल भारतीय चेक ट्रंकेशन प्रणाली: बैंकों द्वारा चेक संग्रहण सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सभी एक्सप्रेस चेक समाशोधन प्रणाली (ईसीसीएस) केंद्रों का विलय चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) ग्रिडों के साथ कर दिया जाएगा।

किफायती लागत सुनिश्चित करना

- *विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) :* सीमा पार सेवाओं, विशेषकर बड़े मूल्य के भुगतानों के विषय में भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों, एजेंटों और वितरकों की पहचान करने के लिए एलईआई के उपयोग हेतु संभावना तलाश की जाएगी, जिसमें सभी चिह्नित क्षेत्रों में कार्यान्वयन का विस्तार करना शामिल है।

विश्वास बढ़ाना

- *डिज़िटल भुगतान सूचकांक :* रिज़र्व बैंक ने 6 फरवरी, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में घोषणा की है कि रिज़र्व बैंक समग्र "डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई)" का सृजन और इसका आवधिक प्रकाशन करेगा।

3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

IX.42 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने देश में संवेदनशील और प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण भुगतान और निपटान प्रणाली के सुचारू रूप से कार्य करने के साथ-साथ परिचालनात्मक दक्षता, अनुक्रियता और ग्राहक संतुष्टि आदि सुनिश्चित करने हेतु तीव्र, मजबूत और सुरक्षित डिज़िटल प्लेटफॉर्म बनाने की गतिशील मांग को पूरा करने के अपने प्रयास जारी रखे। वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक में वैश्विक मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानक आईएसओ 27001:2013 को अपनाकर असुरक्षित को भी सुरक्षित किया है और एनईएफटी 24x7 सुविधा प्रदान करके देश में वित्तीय सेवाओं का तीव्र व सर्वव्यापी डिज़ीटाइजेशन किया। नवोन्मेषी आईटी समाधानों के तीव्र विकास ने कारोबार करने के तरीकों को रूपांतरित करके आदर्श परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है और रिज़र्व बैंक अपने दैनिक परिचालनों में नवोन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को तीव्रता से अपनाते हुए इसके साथ कदम-ताल कर रहा है।

कोविड-19 महामारी के बाद कारोबार निरंतर योजना (बीसीपी)

IX.43 कोविड-19 के कारण कारोबार निरंतरता में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परिचालन बनाए रखने के लिए स्वस्थ, और उच्च कौशलयुक्त कार्मिकों के पर्याप्त दल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता मुख्य चुनौती बनी रही। अभूतपूर्व महामारी की स्थिति में, रिज़र्व बैंक ने अपनी कारोबार निरंतर योजना (बीसीपी) के तहत अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे - (i) भुगतान प्रणाली - एनईएफटी ; 24x7 और आरटीजीएस; (ii) कोर बैंकिंग समाधान *ई-कुबेर;* (iii) मुद्रा और विदेशी विनिमय बाजार के लिए ट्रेज़री परिचालन; (iv) सरकारों (केंद्र और राज्यों) के लिए ऋण प्रबंधन; (v) रिजर्व बैंक की वेबसाइट; (vi) ई-मेल और वीडियो कॉंफ्रेंसिंग सेवाएं; (vii) वेतन, पेंशन और एचआर कार्य; (viii) आईटी, नेटवर्क और साइबर सुरक्षा; (ix) रिजर्व बैंक के सभी स्थानों पर नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव और निगरानी; (x) व्यावसायिक विभागों के महत्वपूर्ण बिज़नेस एप्लिकेशन; और (xi) हितधारकों और घटकों को हेल्पडेस्क और सहयोग आदि का निर्बाध और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों के माध्यम से अग्रसक्रिय रूप से कार्य किया (बॉक्स XI.2: कोविड-19 महामारी, के लिए आरबीआई का बीसीपी, अध्याय XI)।

2019-20 की कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

IX.44 उत्कर्ष के तहत पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- आसान प्रबंधन और निगरानी के लिए नेटवर्क और स्टोरेज़ का समेकन (पैरा IX.45); तथा
- आईटी सुरक्षा के लिए ज़ीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्क को अपनाना (पैरा IX.46)।

लक्ष्यों की कार्यान्वयन स्थिति

आसान प्रबंधन और निगरानी के लिए नेटवर्क और स्टोरेज़ का समेकन

IX.45 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने केंद्रीकृत नेटवर्क की ओर रुख किया और तीन अलग-अलग इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) की सेवाओं के साथ इंटरनेट पर होस्ट किए गए रिज़र्व बैंक के वेब एप्लिकेशनों के लिए निर्बाध ऐक्सेसबिलिटी की सुविधा प्रदान करते हुए एकीकृत प्रणाली विन्यास लागू किया और कनेक्टिविटी स्थायी बनाये रखने के लिए तीन अन्य आईएसपी से फॉलबैक सेकेंडरी पथ लिया। स्टोरेज़ क्षमता बढ़ाने और मौजूदा के साथ-साथ आगामी एप्लिकेशनों के लिए मांग को पूरा करने के लिए एक केंद्रीकृत स्टोरेज़ सॉल्यूशन इस प्रयास को मजबूत करेगा।

नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल (एनएसी) और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (एनओसी) – आईटी सुरक्षा के लिए ज़ीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्क

IX.46 निरंतर सुरक्षा स्थिति मूल्यांकन, उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण को मजबूत बनाने, नेटवर्क के लिए प्राधिकृत करने और सभी उपयोगकर्ताओं और नेटवर्क उपकरणों की बेहतर कंटेस्ट विजिबिलिटी द्वारा रिज़र्व बैंक के सभी एन्ड प्वाइंटस की सिक्युरिटी हाइज़ीन सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल (एनएसी) सॉल्यूशन कार्यान्वित किया गया है। नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (एनओसी), आईटी नेटवर्क संरचना की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत उपकरण है जो रिज़र्व बैंक में संगठनात्मक संरचना का एकल व्यू प्रदान करता है जो समय पर त्रुटि का समाधान उपलब्ध करवाता है और जिससे नेटवर्क की कार्यक्षमता में सुधार होता है। एनओसी रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों में नेटवर्क सेवाओं से संबंधित घटनाओं की लगातार निगरानी, इनका विश्लेषण और इनपर प्रतिक्रिया करता है।

आरटीजीएस लेनदेन के लिए ग्राहक को सकारात्मक पुष्टि

IX.47 रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस प्रतिभागियों के बीच एक क्रेडिट सूचना व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत लेनदेन के सफल समापन के बाद आरटीजीएस का प्राप्तकर्ता प्रतिभागी द्वारा भुगतान अनुदेश देने वाले प्रेषक प्रतिभागी को सूचना भेजता है।

एनईएफटी 24x7

IX.48 दिनांक 7 अगस्त, 2019 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के अपने वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, तीव्र और 24 घंटे खुदरा भुगतान प्रणाली की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2019 से 24x7 आधार पर एनईएफटी प्रणाली को लागू किया (बॉक्स IX.2)।

2020-21 के लिए कार्यसूची

IX.49 वर्ष 2020-21 हेतु इस विभाग के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- *नेक्स्ट जेनेरेशन स्ट्रक्चर्ड फिनान्शियल मैसेजिंग सिस्टम (एनजीएसएफएमएस):* प्रस्तावित एनजीएसएफएमएस विद्यमान स्ट्रक्चर्ड फिनान्शियल मैसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस) प्लेटफॉर्म को बदलेगा और विन्यास को सरल करेगा, मापनीयता और लोचशीलता आएगी और साथ ही आंतिरक एप्लिकेशनों यथा- आरटीजीएस, बैंकों के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और एनईएफटी आदि के बीच उद्यम (इंटरप्राइज़) संदेश संप्रेषण व्यवस्था को बढ़ावा देगा (*उत्कर्ष*);

बॉक्स IX.2
एनईएफटी 24x7

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), 2005 से रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित एक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली है, जो भारत में बैंक ग्राहकों को किसी भी दो एनईएफटी - सक्षम बैंक खातों के बीच एक-से-एक आधार पर निधि अंतरण करने में सक्षम बनाता है। 31 मार्च 2020 तक, पूरे देश में 217 बैंकों की 1,53,311 शाखाओं / कार्यालयों में एनईएफटी सुविधा उपलब्ध थी। अप्रैल 2016 में, रिज़र्व बैंक ने 23 निपटानों सहित बैचों के लिए निपटान का समय कम करके आधा घंटा कर दिया, जो कार्यदिवसों में तथा कैलेंडर महीने के पहले, तीसरे और पांचवे शनिवार को प्रातः 8:00 बजे से सायं 7:00 बजे के बीच है । ग्राहक सुविधा को ध्यान में रखते हुए और डिजिटलीकरण को अधिक बढ़ावा देने के लिए, द हाइ लेवल कमिटी ऑन डीपेनिंग ऑफ़ डिजिटल पेमेंट्स (अध्यक्ष: श्री नंदन नीलेकणि) ने बैंकिंग कार्यसमय के अलावा भी निधि अंतरण की सुविधा के लिए 24x7 आधार पर एनईएफटी उपलब्ध करवाने की सिफारिश की। । तदनुसार, 15 दिसंबर 2019 की आधी रात से रिज़र्व बैंक ने एनईएफटी 24x7x365 की शुरुआत की।

भारत में भुगतान प्रणालियों के संबंध में यह क्रांतिकारी कदम है। इस सुविधा से भारत की गणना उन प्रमुख देशों में होगी जहाँ चौबीसों घंटे धन के निपटान के साथ 24x7 इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली काम करती है। नई सुविधा, लक्षित ग्राहक को अतिरिक्त विकल्प, सुविधा और बहुतायत आदि प्रदान करती है। अब, भारतीयों को अपने खाते के बेलेन्स से से धन अंतरण करने के लिए 'कभी भी' भुगतान की सुविधा मिली है।

परियोजना ने विभिन्न एप्लिकेशनों जैसे कि एसएफएमएस-हब, एसएफएमएस-पीएडी, एसएफएमएस-एमआई (सभी 217-सदस्य बैंकों में), एनईएफटी एप्लिकेशन और ई-कुबेर के कई मॉड्यूल के बीच बहुस्तरीय एकीकरण आवश्यक था। इसमें 24x7 परिचालनों की सुविधा के लिए रिज़र्व बैंक के साथ-साथ सदस्य बैंकों में नई प्रक्रियाओं की शुरुआत भी शामिल थी। एनईएफटी 24x7 ने एक दिन में 48 बैच के निपटानों के साथ भुगतान प्रणालियों की कार्यक्षमता में वृद्धि की है। लेनदेन की मात्रा नवंबर 2019 में 2,194.6 लाख से बढ़कर जनवरी 2020 में 2,605.6 लाख और मार्च 2020 में बढ़कर 2624.0 लाख हो गई है।

स्रोत: आरबीआई

- *अवसंरचना सुरक्षा स्तर के आधुनिकीकरण में तेजी लाना:* आंतरिक और पैरीमीटर फायरवॉल और इन्ट्रयूजन मैनेजमेंट समाधान [अर्थात् गवर्नेन्स, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन (जीआरसी)] को समाहित करते हुए अवसंरचना सुरक्षा स्तरों में तेजी लाने और आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा, ताकि सायबर आघातों के प्रति सहनशीलता को बढ़ाया जा सके और रिज़र्व बैंक की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

- *समूचे रिज़र्व बैंक में नई पीढ़ी की वायरलेस प्रौद्योगिकी वायफाय-6:* वायफाय संरचना को समुन्नत करने हेतु समूचे रिज़र्व बैंक में वायफाय-6 की नवोदित प्रौद्योगिकी को अपनाना आरंभ किया जाएगा जिसमें नए एक्सेस प्वाइंट (नई पीढ़ी की वायरलेस प्रौद्योगिकी के साथ उपलब्ध, अर्थात् वायफाय-6) को लगाया जाएगा; और

- *कर-सूचना नेटवर्क (टीआईएन 2.0) हेतु समूहक के रूप में रिज़र्व बैंक :* केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) नई भुगतान प्रणाली लागू कर रहा है, यथा कर-सूचना नेटवर्क (टीआईएन 2.0) जबकि पूर्ववर्ती ओएलटीएएस (ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली) को नई प्रणाली में ही समाविष्ट कर दिया जाएगा। ई-कुबेर में यह नई प्रणाली रिज़र्व बैंक को वसूलीकर्ता (कलेक्टिंग) बैंक और प्राधिकृत एजेंसी बैंकों द्वारा प्राप्त रकम का समेकनकर्ता दोनों ही कार्य करने की सुविधा देगी।

4. निष्कर्ष

IX.50 निष्कर्षतया देश में कुशल, वहनीय और निरापद भुगतान और निपटान प्रणालियों का विकास करने, और इस क्रम में प्रत्येक भारतीय को ई-भुगतान विकल्पों का गुलदस्ता देने के रिज़र्व बैंक के प्रयासों को वर्ष के दौरान नतीजे भी प्राप्त हुए। आगे, रिज़र्व बैंक प्रयास करेगा कि दक्ष नियामक परिवेश और उपभोक्ता के मजबूत संरक्षण को आधार में रखते हुए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी और भुगतान प्रणालियों को समाज के उन हिस्सों तक पहुंचाया जाए जो अब तक इसके दायरे के बाहर थे।